



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267542
CG-DL-E-10112025-267542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947

No. 18]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2025

का.नि.आ. 18(अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि कुछ छावनियों, जिनके सदस्यों की कार्यावधि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (3) में उपदर्शित तारीख को समाप्त हो रही है, के प्रशासन हेतु उनसे सम्बन्धित छावनी बोर्ड के गठन का फेरफार किया जाना अपेक्षित है, स्तंभ (4) में दी गयी तारीख से एक वर्ष या उस समय तक जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन उक्त बोर्डों का गठन नहीं कर लिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा करती है:-

सारणी

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम	कार्यावधि समाप्ति की तिथि	फेरफार की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पचमढ़ी	29.11.2025	30.11.2025
2.	बदामीबाग	02.12.2025	03.12.2025
3.	जम्मू	02.12.2025	03.12.2025
4.	रामगढ़	02.12.2025	03.12.2025
5.	मेरठ	12.01.2026	13.01.2026

[फा. सं. 14(8)/2019-रक्षा(क्यू एंड सी)पार्ट]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2025

S.R.O. 18(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) and sub-section (4) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, on being satisfied that for the administration of the certain Cantonments, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Boards relating thereto where the term of the members shall expire on date indicated in column (3) of the table given below, hereby makes a declaration to vary the constitution of the Cantonment Boards specified in the table given below with effect from the date mentioned in column (4) thereof for a period of one year or till such time the said Boards are constituted under Section 12 of the said Act, whichever is earlier:

TABLE

Serial Number	Name of Cantonment Board	Date of Expiry	Vary with effect from
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pachmarhi	29.11.2025	30.11.2025
2.	Badamibagh	02.12.2025	03.12.2025
3.	Jammu	02.12.2025	03.12.2025
4.	Ramgarh	02.12.2025	03.12.2025
5.	Meerut	12.01.2026	13.01.2026

[F. No. 14(8)/2019-D(Q&C)/Pt.]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.